पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2014 ई0 (चैत्र 29, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–16

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	235–262	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	133–142	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग

कार्यालय–ज्ञाप

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 482/VII–1/2014/21–रा0मु0/2006–कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री प्रमोद कुमार, उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के पद, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600 में, नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के पद पर पदोन्नत श्री प्रमोद कुमार, उत्तराखण्ड [राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री और सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1981] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के भाग छः के नियम 20(1) के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

प्रोन्नति विज्ञप्ति

31 जनवरी, 2014 ई0

05 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 2414/XVI–1/08/1(32)/08–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 148/10/डी0पी0सी0/सेवा–2/2011–12, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान, उप अनुभाग के डॉ0 नरेन्द्रनाथ गुप्ता के श्रेणी–2 के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उक्त शाखा के कार्मिक डॉ0 संजय कमल को, अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 से श्रेणी–2 में, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, में प्रोन्नत करते हुए दिनांक 01–02–2014 से उद्यान विशेषज्ञ सचिवालय सौन्दर्यीकरण, देहरादून के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ज्येष्ठता सूची में अंकित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा उ0प्र0 राज्य से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में उक्त कनिष्ठ कार्मिक अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

3. उपरोक्त कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाता है।

4. सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर, कार्यभार प्रमाणक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

07 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 27/XVI–2/14/1(26)/04–रेशम विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक (रेशम), श्रेणी–2 के रिक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन कराये जाने के प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में श्री राज्यपाल महोदय, श्री आर0के0 कटियार, निरीक्षक, रेशम को सहायक निदेशक (रेशम), वेतनबैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 पर तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति प्रदान कर, कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रखते हुए सहायक निदेशक, रेशम, जनपद नैनीताल के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्तानुसार श्री कटियार, को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान में कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं रेशम निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

3. मा0 आयोग द्वारा परिणामी रिक्त पद पर पात्रता सूची में इंगित कार्मिक श्री ए0पी0 पाण्डे, निरीक्षक, रेशम को पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया है। श्री ए0पी0 पाण्डे के सहायक निदेशक पद पर पदोन्नति आदेश, श्री आर0के0 कटियार के सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

30 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 110/XXVIII–2/04(219)/2001–श्री राज्यपाल महोदय, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अधीन एवं मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर 6क और 6ख में निहित प्राविधानों के अधीन, राज्य स्तरीय ऑर्थोराइजेशन कमेटी को निम्नवत् गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–67/XXVIII–2–2007–219/2001, दिनांक 23 मार्च, 2007 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

1.	प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून	: पदेन
2(a)	वरिष्ठ सर्जन, दून चिकित्सालय, देहरादून	: पदेन
2(b)	वरिष्ठ फिजीशियन/नेफ्रोलॉजिस्ट, दून चिकित्सालय, देहरादून	
3(a)	डा0 ज्योति शर्मा, चिकित्साधिकारी, सदस्य–आई0एम0ए0	
3(b)	डा0 नन्द किशोर, चिकित्साधिकारी, सदस्य–आई0एम0ए0	
4(a)	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकि0 स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड शासन अथवा नामित प्रतिनिधि	: पदेन
4(b)	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा नामित प्रतिनिधि	: पदेन

2. उक्त कमेटी मानव अंग प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में आवेदकों के आवेदन–पत्रों की जांच व परीक्षण करेगी।

3. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने से तीन (03) वर्ष तक होगा।

अधिसूचना

तैनाती

30 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 118/XXVIII–2/01(37) 2007 टी0सी0 III–एतद्द्वारा निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित स्थल पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम व वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3
1.	डा0 राजीव कुमार टम्टा, वरिष्ठ सर्जन, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी	वरिष्ठ सर्जन, दून चिकित्सालय, देहरादून

1	2	3
2.	डा0 डी0एस0 नेगी, वरिष्ठ ऑर्थोपैडिक सर्जन, जिला चिकित्सालय, चम्पावत	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0 केन्द्र, कालाढूंगी, नैनीताल
3.	डा0 दर्शन सिंह, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0 केन्द्र, किच्छा, ऊधमसिंह नगर
4.	डा0 देवेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0 केन्द्र, जसपुर, ऊधमसिंह नगर
5.	डा0 अनिल कुमार, सामु0स्वा0 केन्द्र, प्रतापनगर, टिहरी	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0 केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार
6.	डा0 विनय प्रताप सिंह, जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0 केन्द्र, द्वाराहाट, अल्मोड़ा

2. उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल एकतरफा कार्यमुक्त किया जायेगा।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 206 / XVII–2 / 2014–08(OBC) / 2012–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003) एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन), अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री अखलाक पुत्र श्री शरीफ अहमद, ग्राम, पाडली, जनपद, हरिद्वार को उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का 'सदस्य' नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पर कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

कार्यालय–ज्ञाप

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 118 / X–3–14–19(3) / 2004–उत्तराखण्ड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वनों, वन्य जीवों तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रभावी संचालन व वन संपदा एवं पर्यावरण के संरक्षण में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–242 / I(2)व0ग्रा0वि0 / 2004–19(3) / 2004, दिनांक 24.02.2004 द्वारा गठित "उत्तराखण्ड वन एवं

पर्यारण सलाहकार समिति" में निम्नलिखित महानुभावों को, गैर शासकीय सदस्य नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	श्री चन्द्रभान जोशी, नाचनी, पिथौरागढ़	–	सदस्य
2.	श्री विपिन भट्ट, ग्राम दैरी, पो0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	–	सदस्य
3.	श्री बलबीर शाह, आई0जी0एल0 कॉलोनी, काशीपुर	–	सदस्य
4.	श्री अशोक बतरा, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर	–	सदस्य
5.	श्री बद्रीलाल वर्मा, थल, पिथौरागढ़	–	सदस्य
6.	श्री नरेन्द्र सिंह रौतेला पुत्र श्री राम सिंह रौतेला, बागेश्वर	–	सदस्य
7.	श्री श्रीकृष्ण पद मण्डल, ग्राम निर्मलनगर, शक्तिफार्म, सितारगंज	–	सदस्य
8.	श्री विजय सेमवाल, गांधी वाचनालय, उत्तरकाशी	–	सदस्य
9.	श्री नरेश बहुगुणा, ढकरानी, देहरादून	–	सदस्य
10.	श्री महिपाल सिंह नेगी पुत्र श्री भूप सिंह नेगी, 188 नेहरू कॉलोनी, देहरादून	–	सदस्य
11.	श्री अनिल क्षेत्री, रायपुर, देहरादून	–	सदस्य
12.	श्री प्रशांत खण्डूरी, गढ़ी कैंट, देहरादून	–	सदस्य
13.	श्री गोविन्द सिंह राणा, चमियाला, घनसाली, टिहरी गढ़वाल	–	सदस्य
14.	श्री विरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री खुशाल सिंह रावत, लण्ढौर , मसूरी	–	सदस्य
15.	श्री प्रताप गुसाईं, नई टिहरी	–	सदस्य
16.	श्री इकराम खान पुत्र श्री इनामुल्ला खान, निवासी 251, पुरानी तहसील, रुड़की, जिला हरिद्वार	–	सदस्य
17.	श्री विकास त्यागी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश, निवासी 180 नेहरू नगर, रुड़की, जिला हरिद्वार	–	सदस्य
18.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, मोहनी रोड, देहरादून	–	सदस्य

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 183 / 14 / XX–2 / 323 / सुरक्षा / 2009–सभी संकटकालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने तथा 'जिला संकट प्रबन्धन समूह' को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 'राज्य संकट प्रबन्धन समूह' का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष,
2.	प्रमुख सचिव (गृह), उत्तराखण्ड शासन	संयोजक,
3.	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य,
4.	अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा	सदस्य,
5.	संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो	सदस्य,
6.	राहत आयुक्त / सचिव (आपदा प्रबन्धन)	सदस्य।

प्रमुख सचिव (गृह) 'राज्य संकट प्रबन्धन समूह' के संयोजक होंगे। उक्त समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए एक वैकल्पिक सदस्य नामित किया जायेगा। समूह के संयोजक तथा राज्य कन्ट्रोल रूम द्वारा सदस्यों की सूची, उनके पते/दूरभाष नम्बरों को समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा। राज्य समूह द्वारा किसी अन्य को भी सदस्य बनाया जा सकता है, जिसे वह उक्त समूह के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक समझे। कमाण्डेंट 'नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एन0डी0आर0एफ0)' को उक्त समूह के आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

'राज्य संकट प्रबन्धन समूह' के दायित्व–

1. 'राज्य संकट प्रबन्धन समूह' सामान्यतः सभी संकटकालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करेगा।
2. 'राज्य संकट प्रबन्धन समूह' 'जिला संकट प्रबन्धन समूह' को परामर्श तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
3. 'राज्य संकट प्रबन्धन समूह' गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के 'आपदा प्रबन्धन समूह' को उत्पन्न स्थितियों तथा किये गये प्रयासों से अवगत करायेगा।

अधिसूचना

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 184/14/XX–2/323/सुरक्षा/2009–जनपदों में संकट/आपातकाल की स्थितियों में संकट प्रबन्धन हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में 'जिला संकट प्रबन्धन समूह' का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त	अध्यक्ष,
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य,
3.	आसूचना ब्यूरो के एक प्रतिनिधि	सदस्य,
4.	उप विकास आयुक्त/अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य।

2. उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला स्तर के किसी अन्य अधिकारी को, जिसको उक्त समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, उसे समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। जहां 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन0एस0जी0)' से सहायता हेतु अनुरोध किया गया हो, वहाँ कमाण्डर, एन0एस0जी0 टॉस्क फोर्स को सदस्य के रूप में उक्त समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। जहाँ एन0डी0आर0एफ0 की तैनाती है, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

3. 'जिला संकट प्रबन्धन समूह' के दायित्व :–'जिला संकट प्रबन्धन समूह' घटना/आपातकाल की स्थिति में संकट प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा। सभी संस्थाएं उक्त समूह को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेंगी। जहाँ राज्य/केन्द्र संकट प्रबन्धन समूह द्वारा एक विशेषज्ञ टीम की नियुक्ति की जायेगी, वहाँ 'जिला संकट प्रबन्धन समूह' उक्त विशेषज्ञ टीम द्वारा प्रदत्त परामर्शों का पालन करेगा परन्तु अन्तिम निर्णय 'राज्य/जिला संकट प्रबन्धन समूह' का होगा।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 405/XX–2/232/सुरक्षा/2009, दिनांक 09 मार्च, 2010 को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाय।

अधिसूचना

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 185/14/XX–2/323/सुरक्षा/2009–राज्य में आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत 'स्टेट निगोशिएटिंग टीम' का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	विशेष शाखा का एक अधिकारी	अध्यक्ष,
2.	आसूचना ब्यूरो का एक प्रतिनिधि	सदस्य,
3.	एक मनोवैज्ञानिक	सदस्य।

उक्त टीम में तकनीशियनों, अनुवादकों, स्टेनोग्राफरों तथा फोटोग्राफरों के रूप में सहयोगी कार्मिक उपलब्ध होंगे, ताकि संक्षिप्त सूचना पर उनकी सेवाएं प्राप्त की जा सके। प्रशिक्षित वार्ताकारों, मनोवैज्ञानिकों इत्यादि के नामों का पैनल तैयार रखा जायेगा।

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

अधिसूचना

08 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 105/X–3–14–13(5)/2000–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1981) की धारा 5 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6 वर्ष 1974) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा निम्नलिखित महानुभावों को, इस अधिसूचना की निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए, यदि ऐसी नियुक्तियाँ उससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अशासकीय सदस्य/गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट एवं नियुक्त करते हैं :–

अशासकीय सदस्य :–

1. श्रीमती बीना बिष्ट (पार्षद, नगर निगम), 114, मित्रलोक कॉलोनी, बल्लुपुर रोड, देहरादून – सदस्य
2. श्री जगदीश धीमान (पार्षद, नगर निगम), 50/13, न्यू पार्क रोड, कांवली, देहरादून – सदस्य

गैर सरकारी सदस्य :–

1. श्री कुशलानन्द जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता, देहरादून – सदस्य

2. उक्त नियुक्तियाँ वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 7 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 5 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

08 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 129/XXVIII–3–2014–137/2010–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित कार्मिकों को उनके सम्मुख कॉलम–3 में अंकित पद पर पदोन्नत करते हुए कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पद/ वर्तमान तैनाती का स्थान	पदोन्नत पद का विवरण	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री जी0सी0 पाण्डे, संख्याधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून	डेमोग्राफर, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड पे ₹ 6,600	स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2.	श्री वीर सिंह, अन्वेषक–कम–संगणक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	संख्याधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड पे ₹ 5,400	स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून	श्री जी0सी0 पाण्डे की पदोन्नति से उपलब्ध होने वाले रिक्त पद के प्रति

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–01

अधिसूचना (संशोधित)

21 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 531/XVII–1/2014–13(45)/2013–उत्तराखण्ड में निवासरत शिल्पकार जाति के अन्तर्गत उपजातियों को सम्मिलित किये जाने विषयक अधिसूचना सं0 3730/XVII–1/2014–13(45)/2013, दिनांक 16.12.2013 के क्रम में वर्णित उपजातियों के क्रमांक 38 एवं अधिसूचना सं0 259/XVII–1/2014–13(45)/2013, दिनांक 30.01.2014 के क्रम में अधिसूचना (संशोधित) के क्रमांक 47 के पश्चात् निम्नलिखित को संशोधित समझे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त अधिसूचना के क्रमांक 47 के पश्चात् शिल्पकार जाति की उपजाति में निम्न उपजाति को सम्मिलित किया जाता है :–

क्रमांक	शिल्पकार जाति की उपजाति/पर्यायवाची नाम
48	लापड़

2. वर्णित जाति के व्यक्तियों को जारी होने वाला अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र "शिल्पकार" जाति के नाम से जारी किया जायेगा।

3. अधिसूचना सं0 3730/XVII–1/2014–13(45)/2013, दिनांक 16.12.2013 के क्रमांक 07 में अंकित बढ़ई (जो अनुसूचित जाति के हैं) में "पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो बढ़ई का कार्य करते हैं" को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. शेष शर्तें एवं प्राविधान अधिसूचना सं0 3730/XVII–1/2014–13(45)/2013, दिनांक 16.12.2013 के अनुरूप यथावत रहेंगे।

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

25 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 327/XVII–2/2014–13(OBC)/2012–श्री राज्यपाल महोदय {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994}, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में निम्नलिखित संशोधन करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड की सम्बन्ध में संशोधित समझे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में प्रविष्टि–85 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :–

86. जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला में निवासरत् अनुवाल समुदाय (परिशिष्ट–1) एवं तहसील मुनस्यारी में रहने वाली 142 जातियां (परिशिष्ट–2) (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 327/XVII-2/2014-13(OBC)/2012**, dated February 25, 2014 :

NOTIFICATION

February 25, 2014

In exercise of the power conferred by section 13 of the Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994} Adaptation and Modification Order, 2001, the Governor is pleased to accord sanction to amend Schedule-1 of said Act shall be deemed amended from the date of publication of this notification to the context of the Uttarakhand as follows :

AMENDMENT

In Schedule 1 of the said Act, after entry 85, the following entry shall be added, namely :

86. "Anuwal Community (Annexure-1) resident of tehsil Dharchula and 142 castes (Annexure-2) of tehsil Munsiyari (excluding Scheduled Castes & Scheduled Tribes) of district Pithoragarh."

By order,

S. RAJU,
Principal Secretary.

संख्या 181/XXIV–3/14/02(77)2012

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 23 फरवरी, 2014

विषय :–बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : विविध/अका0/73877/साईकिल/2013–14, दिनांक 09 जनवरी, 2014 के सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : 1682/XXIV–3/12/02(77)2012, दिनांक 19.03.2013 द्वारा राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना लागू की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या : 1924/XXIV–3/12/02(77)2012, दिनांक 24.12.2013 द्वारा राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों के साथ–साथ अशासकीय (Aided) विद्यालयों में भी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना लागू की गयी है।

2. राज्य के मैदानी जनपदों के कतिपय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के समान है, अतः ऐसे मैदानी जनपदों जहां की भौगोलिक परिस्थिति प्रतिकूल है, में अवस्थित शासकीय/अशासकीय (Aided) सहायता प्राप्त विद्यालयों की बालिकाओं को एफ0डी0 का विकल्प दिये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेश, दिनांक 19.03.2013 एवं दिनांक 24.12.2013 के क्रमशः प्रस्तर 2(i) व प्रस्तर 3(i) में आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त के स्थान पर निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिन मैदानी जनपदों के कतिपय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के समतुल्य विषम है तथा जहां कहीं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत बालिकाओं को साईकिल चला पाना सम्भव न हो, की पुष्टि के आधार पर सम्बन्धित विद्यालयों की बालिकाओं को मुफ्त साईकिल के स्थान पर साईकिल के क्रय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0/डाकघर एफ0डी0 लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जिसके अनतर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जायेगी किन्तु उक्त से पूर्व ऐसे क्षेत्रों में साईकिल न चला पाने की पुष्टि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सुनिश्चितता सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा कर ली जायेगी। यदि किन्हीं क्षेत्रों/विद्यालयों में इस प्रकार से कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तब उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य की होगी।

उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश 19.03.2013 एवं दिनांक 24.12.2013 की शेष समस्त शर्तें पूर्ववत् यथावत लागू रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 212(P)/XXVII(3)/2013–14, दिनांक 19 फरवरी, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 272/II–2014–01(440)/2012 टी0सी0–1–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15,600–39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6,600, में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	श्री हेम चन्द्र जोशी	(श्री प्रेम लाल बहुगुणा के दिनांक 31.01.2014 को होने वाली सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध)
2.	श्री चन्द्रभान	(श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता की दिनांक 31.01.2014 को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर होने वाली पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध)

2. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2011 श्री गोपाल सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाली निर्णय के अधीन रहेंगे।

3. पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

19 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 377/xxxi(13)G–40(सा0)/2012–14–सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना–1014/xxxi(13)/2012–44(G)2012, दिनांक 28 मार्च, 2012, द्वारा श्री एस0सी0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जाँच आयोग का गठन छः माह तक के लिए किया गया था। राज्य में आयी दैवीय आपदा के कारण जाँच से सम्बन्धित कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न होने के दृष्टिगत कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2846/XXXi(13)/2012–44(G)2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2013, जाँच आयोग के कार्यकाल को दिनांक 28.09.2013 के स्थान पर दिनांक 28.02.2014 तक विस्तारित किया गया था। कतिपय विभागों से जाँच आयोग को जाँच से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त न होने पर अध्यक्ष, एकल सदस्यीय जाँच आयोग के अ0शा0पत्र संख्या–599/ए0स0जां0आ0/2014, दिनांक 27 जनवरी, 2014, द्वारा आयोग का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2014 तक बढ़ाये जाने की अपेक्षा की गयी।

2. मामले में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एकल सदस्यीय जाँच आयोग के द्वारा पूर्ण जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के परिपेक्ष्य में आयोग की अतिरिक्त कालावधि विस्तारित किए जाने का औचित्य सही पाया गया। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उक्त अधिसूचना में इंगित शर्तों के अधीन आयोग का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2014 (चार माह) तक विस्तारित/बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. आयोग से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक परिस्थितियों में दिनांक 30 जून, 2014 तक अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

21 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 502/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत, श्री सुनील सिंह, अनुसचिव को उनके आसन्न कनिष्ठ कर्मिकों की उपसचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.02.2014 से वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, में प्राकल्पिक (नोशनल) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. श्री सिंह को उनसे कनिष्ठ अनुसचिवों की पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें पिछले वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा किन्तु उक्त अवधि का लाभ वेतन निर्धारण हेतु देय होगा।

3. श्री सिंह को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4. उप सचिव के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

5. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या–92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

21 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 503 / XXXI(1) / 2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत, श्री रजनीश जैन, अनुभाग अधिकारी को उनके आसन्न कनिष्ठ कर्मिकों की अनुसचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.02.2014 से वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, में प्राकल्पिक (नोशनल) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री जैन को उनसे कनिष्ठ अनुसचिवों की पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें पिछले वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा किन्तु उक्त अवधि का लाभ वेतन निर्धारण हेतु देय होगा।

3. श्री जैन को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4. श्री जैन, अनुसचिव, अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

5. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या–92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

25 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 539 / XXXI(1) / 2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत, श्री महावीर सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुसचिव (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600), के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री परमार को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री परमार, अनुसचिव, अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या–92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,
सचिव।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

28 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 240 / VI / 2014–178(पर्य0) / 2003–विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2014 को, की गई संस्तुति के आधार पर श्री रामचन्द्र भारद्वाज, उप निदेशक, पर्यटन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

से संयुक्त निदेकश, पर्यटन के पद पर वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

राजस्व अनुभाग—2

विज्ञप्ति

08 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 393/XVIII(II)/2014—12(01)/2013—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेगा।

अनुसूची

जनपद का नाम	परगना का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम
देहरादून	परवादून	ऋषिकेश	हरीपुरकलां

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following Engligh translation of the Notification **No. 393/XVIII(II)/2014-12(01)/2013**, dated February 08, 2014 :

COMMUNIQUE

February 08, 2014

In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. no. 3 of 1901), (as appplicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall remains in the survey and record operations from the date of publication of this communique in official Gazette.

SCHEDULE

Name of District	Name of Pargana	Name of Tehsil	Name of Village
Dehradun	Parwadun	Rishikesh	Haripurkala

By order,

BHASKARANAND,
Secretary.

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 मार्च, 2014 ई0

संख्या 640/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत, श्री चन्दन राम, समीक्षा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अनुभाग अधिकारी (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री चन्दन राम को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री चन्दन राम की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013(एस/एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

12 मार्च, 2014 ई0

संख्या 698/XXXI(1)/2014–तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय अग्रवाल, समीक्षा अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के रिक्त पद पर अस्थाई रूप पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अग्रवाल 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री अग्रवाल के अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

24 मार्च, 2014 ई0

संख्या 851/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत, निम्नलिखित अनुसचिव (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री गिरीश चन्द्र डालाकोटी,
2. श्री जंगबहादुर सिंह पथनी,
3. श्री मनोहर सिंह कन्याल।

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उप सचिव (लेखा) के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिववालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

24 मार्च, 2014 ई0

संख्या 852 / XXXI(1) / 2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्री प्रमोद कुमार सनवाल,
2. श्री प्रदीप सिंह रावत,
3. श्री सतीश चन्द्र जोशी।

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. अनुसचिव (लेखा) के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

24 मार्च, 2014 ई0

संख्या 853 / XXXI(1) / 2014—तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित समीक्षा अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. श्री प्रमोद कुमार सिंह,
2. श्री उल्लास भटनागर,
3. श्री देवेन्द्र सिंह बर्तवाल।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों (लेखा) 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नत उपरोक्त अधिकारियों के अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

अधिसूचना

05 मार्च, 2014 ई0

संख्या 231/वि0स0/477/अधि0/2013–विधान सभा सचिवालय में शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु समय–समय पर तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर संवर्गवार कार्मिकों का विनियमितीकरण दिनांक 01 जुलाई, 2013 से किये जाने के उपरान्त पारस्परिक ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा के अनुमोदनोपरान्त इस सचिवालय के अधिकारियों की एक समिति निम्नवत् गठित की जाती है :–

1. श्री विष्णुचक्र थपलियाल, अपर सचिव, अध्यक्ष
2. श्री मदन सिंह कुन्जवाल, संयुक्त सचिव, सदस्य
3. श्री भुवन चन्द्र शर्मा, अनुसचिव (लेखा), सदस्य।

उपरोक्त गठित समिति इस सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के एतद्विषयक कार्मिकों की परस्पर जयेष्ठता का नियमानुसार निर्धारण करते हुए कार्मिकों की विभिन्न संवर्गवार वरिष्ठता की सूची सम्बन्धी संस्तुतियाँ एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

विज्ञप्ति

19 मार्च, 2014 ई0

संख्या 268/वि0स0/207/अधि0/2002–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री भुवन चन्द्र, अनुसचिव (लेखा), विधान सभा सचिवालय, जिनकी जन्मतिथि 20.09.1954 है, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

जगदीश चन्द्र,
सचिव।

वित्त अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

27 जुलाई, 2013 ई0

संख्या 549/XXVII(1)/2013–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में शोध अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री अमित वर्मा की "उत्तरांचल बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सेवा नियमावली, 2006 (यथा संशोधित)" में निहित प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर चयनोपरान्त वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद (वेतन बैण्ड–3/ ₹ 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 6,600,) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिकारी को वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर उल्लिखित सेवा नियमावली के नियम–19 के अन्तर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार पदोन्नति के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

कार्य भार प्रमाणक

27 जुलाई, 2013 ई0

संख्या 58/बजट/2013–एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग–1) की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 549/XXVII(1)/2013, दिनांक 27 जुलाई, 2013 के अनुपालन में वरिष्ठ शोध अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के पद का कार्यभार, जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, दिनांक 27 जुलाई, 2013 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

अमित वर्मा,
वरिष्ठ शोध अधिकारी।

प्रति हस्ताक्षर

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर निदेशक,
बजट राजकोषीय नियोजन
एवं
संसाधन निदेशालय।

आज्ञा से,

एल0एन0 पन्त,
अपर सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

30 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 157/बीस–4/2014–1(73)/2008 टी0सी0–प्रदेश के विभिन्न जिला कारागारों एवं उप कारागारों हेतु उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन अधिसूचना संख्या 772/बीस–4/2013–1(73)/2008, दिनांक 01.05.2013 के द्वारा जिला कारागार, देहरादून हेतु मो0 सर्फराज अंसारी को अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के पद पर नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये थे।

2. मो0 सर्फराज अंसारी की जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के पद पर की गयी नियुक्ति को, सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3. उक्त अधिसूचना दिनांक 01.05.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विनोद शर्मा,
अपर सचिव।

सिंचाई अनुभाग

अधिसूचना

04 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 164/II–2014–01(22)/2011–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) (समूह "क", "ख" व "ग")

सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) (समूह "क", "ख" व "ग") (संशोधन)

सेवा नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) (समूह "क", "ख" व "ग") (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 16 का संशोधन– (1) उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) (समूह "क", "ख" व "ग") सेवा नियमावली, 2003, में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 16 के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा ; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ख) सहायक शोध अधिकारी/शोध अधिकारी : यथास्थिति, इस सेवा के पदों पर भर्ती पदोन्नति द्वारा, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर, यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा प्रोन्नति (प्रक्रिया) उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।	(ख) सहायक शोध अधिकारी : यथास्थिति, इस सेवा के 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती पदोन्नति द्वारा ऐसे शोध पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के अनुसार की जायेगी। (2) मूल नियमावली के नियम 16 के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :– "(ग) शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति : (एक) यथास्थिति, इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे सहायक शोध अधिकारियों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी, जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नवत् चयन समिति गठित की जायेगी :– (क) प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ; (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन ; (ग) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ; (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि। वरिष्ठतम् प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

आज्ञा से,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article, 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following Engligh translation of the Notification **No. 164/II-2014-01(22)/2011**, dated February 04, 2014 :

NOTIFICATION

February 04, 2014

In exercise of the power conferred by the provision of Article, 309 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amendment the Uttarakhand Service of Scientific Cadre (Group "A", "B" & "C") Rules, 2003.

1. **Short title and commencement**--(1) These rules may be called the Irrigation Department Uttarakhand Service of Scientific Cadre (Group "A", "B" & "C"), (Amendment) Rules 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment rule, 16**-- (1) The Irrigation Department Uttarakhand Service of Scientific Cadre (Group "A", "B" & "C") Service Rules, 2003 for the existing rules in clause (B) of rule 16 set out in Column I below, the rule as set out in Column 2 shall substituted ; namely :--

Column-I *(Existing Rule)*	Column-I *(rule as hereby Substituted)*
(B) Assistant Research Officer/Research Officer : As the case may be, the recruitment by promotion to the post of this sevice, shall be made on the basis of seniority, subject to reject unfit in accordance with "consultation to Uttarakhand Public Service Commission for promotion by selection (procedure) Uttar Pradesh Service Rules 1970" as amended from time to time.	**(B) Assistant Research Officer/Research Officer :** As the case may be, the recruitment by promotion to the 75 percent post of this service, shall be made amongst such Research Supervisor who have completed the continuous service of seven years on first July of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to reject unfit in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (procedure) Rules, 2003 and Uttarakhand Public Service Commission (Limitation of duties) Regulations as amended from time to time.

(2) In the principal rule a new Clause (C) shall be inserted after Clause (B), as follows :

"(C) Promotion to the Post of Research Officer :

"(i) As the case may be, the recruitment by promotion to the 50 percent post of this service, shall be made amongst such Assistant Research Officers on the basis of seniority, subject to reject unfit who have completed the continuous service of seven years on first July of the year of recruitment.

(ii) A Selection Committee shall be constitued for Research Officer of Promotion as follows :

(a) Principal Secretary/Secretary, Irrigation Department, Uttarakhand.

(b) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand.

(c) Chief Engineer & Head of the Department, Irrigation Department, Uttarakhand.

(d) A representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Senior most Principal Secretary of Uttarakhand shall be the Chairman of the Selection Committee.

By order,

Dr. AJAY KUMAR PRADYOT,

Secretary.

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 579 / XXXI(1) / 2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री रमेश सिंह रावत, समीक्षा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुभाग अधिकारी (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400), के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. श्री रावत को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रावत की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997 / 2013(एस / एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 580 / XXXI(1) / 2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपर निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्रीमती अन्जु बेलवाल
2. श्री विजय पाल सिंह
3. श्रीमती यशोदा गहलोत
4. श्री जयराम सिंह
5. श्री पंकज कुमार सैनी
6. श्री मो0 कबीर अंसारी
7. श्रीमती शारदा शर्मा
8. श्री जयनन्दन सिंह
9. श्रीमती मीनाक्षी गुणवन्त
10. श्री सत्येन्द्र सिंह सजवाण
11. श्री हरीश कुमार
12. श्री केवल सिंह
13. सुश्री नीतू सैनी
14. सुश्री नीलिमा
15. श्री सोमपाल सिंह
16. श्री अमित कुमार भारती
17. श्री कर्ण सिंह
18. सुश्री गायत्री देवी
19. श्री प्रमोद कुमार मित्तल
20. श्री जी0बी0 चौबे
21. श्री लक्ष्मी प्रसाद उनियाल
22. श्री जी0सी0 लोहनी

23. श्री दिनेश चन्द्र पाठक
24. श्री सिद्वी नाथ
25. श्री अनिल नेगी
26. श्री सुभाष चन्द्र काला

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 581/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री जे0सी0 पन्त
2. श्री विरेन्द्र सिंह खैरोला
3. श्री सुभाष चन्द्र पंवार
4. श्री अशोक कुमार
5. श्री हरि प्रसाद बेलवाल
6. श्री रमेश चन्द्र बिष्ट
7. श्री ओम प्रकाश पाण्डे
8. श्री सोहन लाल डोभाल
9. श्री दिगपाल सिंह रावत
10. श्री साब सिंह नेगी
11. श्री मदन मोहन भारद्वाज
12. श्री विरेन्द्र कुमार कौशिक
13. श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल
14. श्री हरिदत्त देवतला
15. श्री भुवन चन्द्र जोशी
16. श्री वाणीविलास उनियाल
17. श्री हरिश चन्द्र पाण्डे
18. श्री सूरत सिंह असवाल
19. श्री गिरीश चन्द्र कैडा
20. श्री कैलाश चन्द्र तिवारी
21. श्री अच्युत प्रसाद वाजपेयी
22. श्री विपिन चन्द्र जोशी
23. श्री राजेन्द्र सिंह राणा
24. श्री गिरिजेश जोशी
25. श्री भरत सिंह रावत
26. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 582/XXXI(1)/2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्रीमती शोभा भट्ट
2. श्री त्रिलोक चन्द्र तिवारी
3. श्री राम चन्द्र काला
4. श्री गोपाल सिंह नयाल
5. श्री कैलाश चन्द्र जोशी
6. श्री प्रकाश चन्द्र उपाध्याय
7. श्री मोहन लाल उनियाल
8. श्री आर0एस0 देव
9. श्री राजेन्द्र प्रसाद
10. श्री अरविन्द प्रकाश भट्ट
11. श्री शंकर देव आर्य
12. श्री दिनेश चन्द्र कर्नाटक
13. श्री रूप चन्द्र गुप्ता

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 583/XXXI(1)/2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 37,400—67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्री विक्रम सिंह चौहान
2. श्री दर्शन सिंह

(3) श्री पन्ना लाल शुक्ल

(4) श्री दीप चन्द्र जोशी

(5) श्री दान सिंह

(6) श्री ओम प्रकाश नैथानी

(7) श्री सुरेन्द्र कुमार

(8) श्री लीला सिंह नेगी

2. उल्लिखित अधिकरियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 पर अंकित अधिकारियों की पदोन्नति उत्तराखण्ड सचिवालय में सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 10600/10601/2011 कृष्ण कुमार मदान व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

पी0एस0 डंगवाल,
अपर सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

तैनाती

30 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 114/XXVIII–2/01(37)2007 टी0सी0 IV–एतद्द्वारा निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित स्थल पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम व वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती स्थल
1.	डा0 आलोक कुमार जैन, वरिष्ठ ई0एन0टी0 सर्जन, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार	वरिष्ठ ई0एन0टी0 सर्जन, दून चिकित्सालय, देहरादून
2.	डा0 पीयूष त्रिपाठी, वरिष्ठ ई0एन0टी0 सर्जन, दून चिकित्सालय, देहरादून	वरिष्ठ ई0एन0टी0 सर्जन, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार

2. क्रम संख्या–2 पर अंकित चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा एवं क्रम संख्या–1 पर अंकित चिकित्साधिकारी को प्रतिस्थानी के योगदान देने पर कार्यमुक्त किया जायेगा।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
उप सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 203/ix–1/33(2013)/2014

01 अप्रैल, 2014 ई0

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उपनियम (1) में दी गई व्यवस्थानुसार परिवहन यानों को उनके प्रचालक द्वारा स्पीड गवर्नर (स्पीड सीमित करने का कृत्य) से सुसज्जित करने हेतु अधिसूचना संख्या 202 ix–1/33(2013)/2014, दिनांक 01 अप्रैल, 2014 निर्गत की जा रही है। कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2014 ई0

संख्या 202/ix/33(2013)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में निम्नलिखित वर्गों के परिवहन यानों को उनके प्रचालक द्वारा ऐसे स्पीड गवर्नर या स्पीड सीमित करने के कृत्य से जो समय–समय पर यथा संशोधित ए0आई0एस0 018/2001 मानक के अनुसार हो, सुसज्जित करने हेतु अधिसूचित करते हैं :–

1.(क) राज्य परमिट या राष्ट्रीय परमिट पर प्रचालन कर रहे यान को छोड़कर समस्त माल यान, जिनका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक हो ;

(ख) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर प्रचालन कर रहे यान को छोड़कर ऐसी मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी, निजी सेवा यान व शिक्षण संस्था बस, जिनका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक हो।

2. उक्त प्रकार के अपंजीकृत वाहनों पर उनके पंजीकरण के समय तथा पंजीकृत वाहनों पर उनके ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी करते समय सम्बन्धित पंजीयनकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के 15 दिन से निर्धारित मानक के अनुसार स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा।

3. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई के माध्यम से स्पीड को नियंत्रित करने वाले स्पीड गवर्नर से भिन्न स्पीड गवर्नर को उत्तराखण्ड परिवहन विभाग की सील से सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा सील किया जायेगा।

4. स्पीड गवर्नर से सुसज्जित यान को किसी भी दशा में परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 52/ix/424/2009, दिनांक 30 जनवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित/निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति पर नहीं चलाया जायेगा।

5. स्पीड गवर्नर के विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी एक प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी ए0आई0एस0 : 018/2001, मानकों को पूरा करने का टाईप एप्रूवल प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

6. परिवहन आयुक्त को टाईप एप्रूवल हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व परिवहन यान का विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रत्येक मॉडल/बैरिएंट मेक के लिये स्पीड गवर्नर उपलबध है, जिसके अभाव में परिवहन आयुक्त उसके टाईप एप्रूवल से लिखित में इन्कार कर सकते हैं।

7. स्पीड गवर्नर का विनिर्माता या डीलर उसको किसी परिवहन यान में लगाते समय स्पीड गवर्नर पर यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को उभरे या खुदे रूप में अंकित करेगा ताकि उसका उपयोग किसी अन्य परिवहन यान में न हो सके।

8. यदि किसी अवसर पर ऐसा प्रकट हो कि या तो यान विनिर्माता या स्पीड गवर्नर विनिर्माता किसी विशिष्ट मेक के यान या स्पीड गवर्नर का प्रमाण–पत्र लेने के इच्छुक नहीं है तो परिवहन आयुक्त यथास्थिति उस मेक के यान का पंजीकरण रोक देंगे या स्पीड गवर्नर का विनर्माण निषेध कर देंगे।

9. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबन्धों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा निर्गत टाईप एप्रूवल प्रमाण–पत्र के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रकार का स्पीड गवर्नर ही लगाया जायेगा।

10. परिवहन आयुक्त को स्पीड गवर्नर के अनुमोदन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय विनिर्माता केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अधीन किसी प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी का ए0आई0एस0 मानक : 018/2001 की अपेक्षाओं का पालन करने का प्रमाण–पत्र सहित वैट संख्या, होलोग्राम, उत्तराखण्ड में डीलर नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करने होंगे। विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर द्वारा स्पीड गवर्नर का एक नमूना उसके सत्यापन हेतु आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। स्पीड गवर्नर की अनुमति ए0आई0एस0 : 018/2001 की विधिमान्यता तक होगी।

11. गुणवत्ता युक्त उत्पाद की आपूर्ति न होना, बिक्री के बाद में सेवा (आफटर सेल सर्विस) की व्यवस्था न होना, छेड़–छाड़ की सम्भावना होना, उपयुक्त स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति न होना, वारंटी न होना, अनुपयुक्त या अनुरक्षण न होना जैसे मुद्दों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पीड गवर्नर विनिर्माता द्वारा परिवहन आयुक्त के नाम से देहरादून में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बीस लाख रुपये की बैंक गारंटी सहित परफारमेंस एग्रीमेंट प्रस्तुत करना होगा।

12. उपर्युक्त पैरा 10, 11 में वर्णित सूचनायें, परफारमेंस एग्रीमेंट और बैंक गारंटी प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा स्पीड गवर्नर का अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा।

13. स्पीड गवर्नर की न्यूनतम वारंटी अवधि, उसकी बिक्री के दिनांक से बारह माह के लिये होगी और स्पीड गवर्नर/उसके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता विनिर्माता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर कम्पनी होलोग्राम के साथ, संस्थापन प्रमाण–पत्र जारी करेगा और प्रत्येक माह की दस तारीख से पहले सम्बन्धित पंजीयन प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

14. प्राधिकृत टेंस्टिंग एजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्ट मेक/मॉडल/बैरियंट के स्पीड गवर्नर का विशिष्ट मेक/मॉडल/बैरियंट यान में संस्थापन के पश्चात् स्पीड गवर्नर को लीड सील द्वारा परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड की अधिकारिक सील से यथास्थिति सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक संभागीय निरीक्षक द्वारा सील किया जायेगा।

15. स्पीड गवर्नर में कोई मरम्मत का कार्य, जिसे सील में छेड़–छाड़ किये बिना करना सम्भव न हो, करने के लिये सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से पूर्व में लिखित सहमति ली जायेगी। मरम्मत का अपेक्षित कार्य करने के उपरान्त स्पीड गवर्नर को यान स्वामी द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह समय–समय पर यथासंशोधित ए0आई0एस0 : 018/2001, मानक के अनुरूप हो और उसे सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा अधिकारिक सील द्वारा इस प्रकार सील किया जायेगा, कि सील में छेड़–छाड़ किये बिना उसे हटाना सम्भव न हो।

16. परिवहन यान का स्वामी या चालक सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की लिखित सहमति के बिना परिवहन विभाग की अधिकारिक सील में छेड़–छाड़ नहीं करेगा। प्रत्येक यान का मरम्मत के प्रत्येक कार्य का पृथक अभिलेख रखा जायेगा, जिसे परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों की मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।

17. सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा स्पीड गवर्नर युक्त प्रत्येक यान का अभिलेख रखा जायेगा, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा प्रतिमाह परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।

18. यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पीड गर्वनर की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य उसके विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्यशाला में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाय।

19. परिवहन यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन करते समय यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पीड गवर्नर में लगायी गयी सील अक्षत है। यदि किसी समय सक्षम प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उसकी सील में छेड़–छाड़ किया गया है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व यान चालक का होगा और उसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा। इसके साथ ही सक्षम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मामला सम्बन्धित सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को भी सूचित किया जायेगा। कृत्य की गम्भीरता को देखते हुये सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यान के परमिट को रद्द या निलम्बित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

20. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुये भी सक्षम प्रवर्तन अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि स्पीड गवर्नर की सील अक्षत रहते हुये यान विहित गति सीमा से अधिक गति पर चलाया जा रहा है, तो वह चालक या स्वीमी को, यान को सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक को यान की गतिसीमा मापने हेतु परीक्षण/निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिये लिखित निर्देश

देगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि स्पीड गवर्नर की सील अक्षत रहते हुये उसे निष्प्रभावी बनाने के लिये कोई तकनीकी व्यवस्था की गयी है तो उसे इस अधिसूचना के आशय का उल्लंघन समझा जायेगा और चालक या स्वामी या दोनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा।

21. जहाँ सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से स्पीड गवर्नर की मरम्मत करने के अधिकारिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो चालक और स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान में जब तक अधिकारिक सील न लगायी जाय, तब तक कोई सवारी नहीं ले जायी जायेगी। बीच की अवधि में चालक द्वारा यान के अगले और पिछले भाग में बोर्ड में लाल रंग से यह प्रदर्शित किया जायेगा कि "यान बिना स्पीड गवर्नर के है"।

22. परिवहन यान के चालक और स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान के विंड स्क्रीन के तल में बॉयी ओर सफेद रंग से तीन सेंटीमीटर ऊँचाई व समुचित मोटाई के अक्षरों में यह प्रदर्शित हो कि "ए0आई0एस0 : 018 मानक के अनुरूप स्पीड गवर्नर लगा है"।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification **No. 202/ix/33(2013)/2014**, dated April 01, 2014 for general information :

NOTIFICATION

April 01, 2014

In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor, hereby notify that the following category of transport vehicles shall be fitted with speed governor (speed limiting device) conforming to the standard AIS : 018/2001, as amended from time to time by their operator :

1.(a) All goods vehicles whose gross vehicle weight is more than 3.5 ton except goods vehicles operating on state permit or national permit.

(b) Such stage carriage, contract carriage, private service vehicle and education institutional bus whose gross vehicle weight is more than 3.5 ton except vehicle operating on all India tourist permit.

2. The concerned Registration authority shall fit the speed governor of specified standard on the aforesaid vehicles with affect from the 15th day from the day of issue of this notification on the unregistered vehicles at the time of their registration and on registered vehicles at the time of renewal of their fitness certificate.

3. The speed governor, other than those which controls the speed of the vehicles by an electronic control unit, shall be sealed with the seal of Transport Department Uttarakhand by the concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector.

4. The vehicle fitted with speed governor shall not be driven over and above the maximum speed limit notified/specified by transport anubhag-1 notification no. 52/ix/424/2009, dated January 30, 2009.

5. The type approval certificates conforming to AIS : 018/2001, standard shall be obtained by manufacturer of the speed governor form anyone of the authorized testing agency specified under rule 126 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

6. The manufacturer of the transport vehicle shall ensure that for each model/variant of their make speed governor is available before the same is produced to the Transport Commissioner for its type approval. In its absence the Transport Commissioner may refused in writing the type approval of the same.

7. The manufacturer or dealer of speed governor while fitting it in transport vehicle shall emboss/ engrave the registration mark of the vehicle on the speed governor so that the same could not be used for another transport vehicle.

8. If it appears at any time that either the vehicle manufacturer or the speed governor manufacturer are not willing to get certified their vehicle or speed governor on particular make of the vehicle or speed governor, the Transport Commissioner shall stop the registration of that make of vehicle and may ban the manufacturer of the speed governor as the case may be.

9. The speed governor shall be fitted out of the makes as approved by the Transport Department Uttarakhand on the basis of the type approval certificate issued by testing agencies authorized by Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

10. The manufacturer while submitting the application for approval to the Transport Commissioner shall attach certificate of compliance of AIS : 018/2001, standard from any of the authorized testing agency under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 alongwith the documents relating VAT number, hologram, dealer network and service network in Uttarakhand. The manufacturer/ authorised dealer shall submit one sample of speed governor along with application for verification. The departmental approval granted to speed governor will be valid till the validity of AIS : 018/2001.

11. In order to ensure supply of quality product, after sale service and issues like tempering, non supply of suitable spare, not having warranty, improper or non maintenance the speed governor manufacturer shall submit the performance agreement alongwith bank guarantee from notified bank worth rupees twenty lakhs in the name of Transport Commissioner payable at Dehradun.

12. On the receipt of information, performance agreement and bank guarantee stated in para 10 and 11 above the approval shall be issued by the Transport Commissioner.

13. The minimum warranty period of speed governor shall be twelve month from the date of sale and manufacturer would ensure availability of speed governor/spare parts thereof. The manufacturer/ authorized dealer would issue installation certificate with company hologram and would submit monthly reports before tenth of every month to the concerned registering authority.

14. After the fitment of particular make/model/variant of speed governor in particular make/model/variant of vehicle duly approved by testing agency it shall be sealed at all the sealing points by the official seal of Transport Department Uttarakhand by the Regional Inspector or Assistant Regional Inspector as the case may be.

15. Any repair work of speed governor which leads to tempering of official seal shall be carried out with the prior written permission of the concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration). After carrying the desired repair work the speed governor shall again be fitted by owner of such vehicle in such a manner that it conforms to AIS : 018/2001, standard as amended from time to time. It shall again be sealed by the official seal by the concerned Regional Inspector of Assistant Regional Inspector as the case may be in such a way that it cannot be removed or tempered with without the seal being broken.

16. The owner or driver of the transport vehicle shall not temper with the official seal of the Transport Department without permission from concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration). The record of each repair work shall be maintained for each vehicle separately and shall be produced before the competent authorities on demand.

17. The concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector shall maintain records of each vehicle fitted with speed governor and shall send its monthly report to the Transport Commissioner.

18. The driver and owner of the vehicle shall ensure that the repair and maintenance work of the speed governor shall be carried out at the workshop authorized by its manufacturer and by trained personal.

19. The owner and driver of the transport vehicle while driving it in public place shall ensure that the seal put on the speed governor in his vehicle are in intact. If it is found by the competent inforcement officer at any time that any seal of the speed governor has been tempered with, the entire responsibility of it shall lie on the driver and he shall be prosecuted under section 184 of the Motor Vehicles Act,1988, Simultaneously, the competent inforcement officer shall report the matter to the concerned Secretary, Regional Transport Authority who shall intitiate the proceedings of cancellation or suspension of the permit of the vehicle as per the gravity of the act.

20. Notwithstanding anything contained in this notification, the competent inforcement officer who has reason to believe that despite the seal of the speed governor found intact, the vehicle is plying at the higher speed than the prescribed speed, he may in writing direct the driver or owner to submit the vehicle for conducting the test/inspection to concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector to measure the speed limit. If it is established that despite the seals being intact some technical arrangement has been made to make the speed governor ineffective then it shall be considered the voilation of the spirit of this notification and the driver or the owner or both shall be prosecuted under section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988.

21. Where official permission from concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration) has been obtained to carry out repair work, the driver and the owner shall ensure that no passenger shall be carried on the vehicle till official seal is again applied. During the intervening period the driver shall display a board on front and rare side of the vehicle indicating in red colour that “The vehicle is without speed governor”.

22. The driver and owner of the transport vehicle shall ensure that the words, ”speed governor conforming to AIS : 018/2001 standard is installed” shall be painted on the bottom of the left side of the windscreen in white colour with letters of three centimeter height of appropriate thickness.

By order,

Dr. UMAKANT PANWAR,
Sachiv.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/322–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2014 ई0 (चैत्र 29, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 05, 2014

No. 05 UHC/XIV/8/Admin.A/2008--Ms. Reena Negi, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 18 days *w.e.f.* 08.01.2014 to 25.01.2014 with permission to prefix 07.01.2014 as Guru Govind Singh Birthday and to suffix 26.01.2014 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

February 13, 2014

No. 09 UHC/XIV-a-15/Admin.A/2009--Sri Bhavdeep Ravtey, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is hereby sanctioned medical leave for 17 days *w.e.f.* 11.10.2013 to 27.10.2013.

NOTIFICATION

February 13, 2014

No. 10 UHC/XIV-72/Admin.A/2003--Sri Brijendra Singh, 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 29.01.2014 to 07.02.2014.

NOTIFICATION

February 13, 2014

No. 11 UHC/XIV/79/Admin.A/2003--Ms. Neelam Ratra, Additional District & Sessions Judge, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 09 days *w.e.f.* 16.12.2013 to 24.12.2013 with permission to suffix 25.12.2013 to 30.12.2013 as Christmus and winter holidays.

NOTIFICATION

February 13, 2014

No. 12 UHC/XIV-a-38/Admin.A/2011--Sri Ram Lal, Special Judicial Magistrate (N.I. Act), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 09 days *w.e.f.* 16.12.2013 to 24.12.2013 with permission to prefix 14.12.2013 & 15.12.2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 25.12.2013 to 31.12.2013 as Christmus and winter holidays.

NOTIFICATION

February 19, 2014

No. 13 UHC/XIV-a-35/Admin.A/2011--Sri Jaipal Singh, Special Judicial Magistrate (N.I. Act), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 13.01.2014 to 01.02.2014 with permission to prefix 11.01.2014 & 12.01.2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 02.02.2014 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

February 20, 2014

No. 14 UHC/XIV-a-36/Admin.A/2013--Sri Imran Mohd. Khan, Judicial Magistrate-II, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 20.11.2013 to 04.12.2013.

NOTIFICATION

February 20, 2014

No. 15 UHC/XIV-a-36/Admin.A/2013--Sri Imran Mohd. Khan, Judicial Magistrate-II, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 01 day *i.e.* 19.11.2013.

NOTIFICATION

February 20, 2014

No. 16 UHC/XIV-a-39/Admin.A/2012--Ms. Sweta Pandey, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 19.06.2013 to 02.07.2013.

NOTIFICATION

March 06, 2014

No. 21 UHC/XIV/4/Admin.A/2008--Ms. Pratibha Tiwari, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 21 days *w.e.f.* 09.01.2014 to 29.01.2014.

NOTIFICATION

March 06, 2014

No. 22 UHC/XIV-a-33/Admin.A/2002--Sri Manoj Kumar, Judicial Magistrate, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 03.02.2014 to 15.02.2014 with permission to prefix 02.02.2014 and suffix 16.02.2014 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 06, 2014

No. 23 UHC/XIV/86/Admin.A/2003--Sri Mahesh Chandra Kaushiwa, Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 31 days *w.e.f.* 17.01.2014 to 16.02.2014.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/--

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 04, 2014

No. 29 UHC/XIV/32/Admin.A--Sri Ramesh Chandra Kukreti, District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 02.02.2014 to 16.02.2014, for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(On Handing Over)

February 28, 2014

March 01, 2014

No. 936/Admn.(A)-UHC/2014--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Order No. 08/XIV-a-44/Admn. A/2008, dated February 19, 2014 as herein denoted in the forenoon of 20th February 2014.

Relieving Officer

NARENDER DUTT.

Relieved Officer.

Countersigned,

D.P. GAIROLA,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

NAINITAL.

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

31 जनवरी, 2014 ई0

पत्रांक 5309/आयु0कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म–16/11 एवं ओ0सी0 स्टैम्प, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री गैटवैल लाईफ केयर प्रा0लि0, सुद्धोवाला, झाझरा, देहरादून, टिन नं0–05011744203	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2236970	खोने के कारण

1	2	3	3	5
2.	सर्वश्री थ्री ब्रदर्स फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स, जसपुर टिन नं0–05002457423	प्ररुप–11 (01)	U.A. VAT/A-2006 053048	खोने के कारण
3.	सर्वश्री कौशिक फ्लोर मिल्स प्रा0लि0, जसपुर, टिन–05002344224	प्ररुप–11 (01)	U.A. VAT/A-2006 052853	खोने के कारण
4.	सर्वश्री ओ0बी0टी0 टैक्सटाईल्स प्रा0लि0, पंतनगर, टिन–05004506160	ओ0सी0 स्टैम्प (100)	OCUK/AA 2008 0403001, 0403002, 0400903 to 0401000	खोने के कारण
5.	सर्वश्री कुमाऊँ टैक्सटाईल्स प्रा0लि0, काशीपुर टिन–05002352372	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2385652	खोने के कारण
6.	सर्वश्री श्रीराम पोलीमर्स, काशीपुर टिन–05006582251	प्ररुप–XVI (04)	U.K.VAT-M 2012 1507516, 1507517, 2326735, 2326737	खोने के कारण
7.	सर्वश्री हिमालय ड्रग कम्पनी, सहारनपुर रोड, देहरादून, टिन–05005517288	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 3096176, 2250152	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

विज्ञप्ति

01 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 5328/आयु0कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी", जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री न्यू ओशो गारमेण्ट्स, रेलवे बाजार, हल्द्वानी, टिन नं0–05001352496	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 966432	खोने के कारण
2.	सर्वश्री आयुष बैवरेजेज, मिस्सरपुर कनखल, हरिद्वार, टिन नं0–05008807528	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 1121511	खोने के कारण

1	2	3	4	5
3.	सर्वश्री बाबा श्री कारवा सन् ड्राई इण्ड0, बाजपुर, टिन नं0—05008390331	(Form-C)--03	U.K.VAT/C-2007 306883 to 306885	खोने के कारण
4.	सर्वश्री ओम पैकेजिंग, रूद्रपुर टिन नं0—05009557532	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 577090	खोने के कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

February 01, 2014

5328/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2013-14/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C" enlisted below :

I, Commissioner tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that "Form-C" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes :

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s New OSHO Garments, Railway Bazar, Haldwani, Tin No.-05001352496	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 966432	Lost
2.	M/s Aayush Beverages, Missarpur Kankhal, Hardwar, Tin No.--05008807528	(Form-C)--01	U.K. VAT/C-2007 1121511	Lost
3.	M/s Baba Shri Karwa Sundry Ind. Bajpur, Tin No.--05008390331	(Form-C)--03	U.K. VAT/C-2007 306883 to 306885	Lost
4.	M/s Om Pachaging, Rudrapur, Tin No.--05009557532	(Form-C)--01	U.K. VAT/C-2007 577090	Lost

DILIP JAWALKAR,
Commissioner Tax,
Uttarakhand.

(विधि—अनुभाग)

06 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 5392/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि—अनुभाग/पत्रा0 03/13—14/देहरादून

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 158/2014/181(120)/XXVII(8)/2008, दिनांक 04.02.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम—5 के उप नियम (3), सपठित उपनियम (2) एवं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 42 एवं धारा 43 के अधीन समस्त डिप्टी कमिश्नर,

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों को अधिकारों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में अधिकृत करते हुये अवगत कराया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग—8

अधिसूचना

04 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 158/2014/181(120)/XXVII(8)/2008—उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 5 के उपनियम (3) सपठित उपनियम (2) एवं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 42 तथा धारा 43 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों को, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 42 एवं धारा 43 के अधीन अधिकारों का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में, करने हेतु अधिकृत करते हैं।

परन्तु, यह कि उपर्युक्त प्राधिकृत अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को उसकी अन्यथा अधिकारिता की सीमाओं के परे, उक्त धाराओं के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व, ऐसे उच्चत्तर अधिकारी, जैसा कि आयुक्त कर द्वारा निर्धारित किया जाय, की पूर्व अनुज्ञा लेना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 158/2014/181(120)/XXVII(8)/2008,** dated February 04, 2014 for general information :

In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of the Uttarakhand Value Added Tax Rule, 2005 read with sub-rule (2) of rule 5 and section 42 and section 43 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, the Governor is pleased to authorise all the Deputy Commissioners Commercial Tax, all the Assistant Commissioners Commercial Tax and all the Commercial Tax Officers to exercise the powers of section 42 and section 43 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, within whole of the State of Uttarakhand ;

Provided that, prior permission of such higher officer, as decided by the Commissioner, shall be necessary before any powers under the said sections are exercised by any of the aforesaid officer beyond the limit of his otherwise jurisdiction.

By order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

कार्यालय, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़

कार्यालय आदेश

23 जनवरी, 2014 ई0

पत्रांक 29/यूके05—जीए—0036/पंजीयन/2014—प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा पत्र संख्या—1787/5—1 वाहन, दिनांक 07.12.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका विभागीय वाहन संख्या—यूके05जीए—0036, जिसका चैसिस संख्या A9G22375 व इंजन संख्या GZY 30542 है, कन्ज्योति बैरियर (कोतवाली धारचूला के अन्तर्गत) सुरक्षित स्थान पर खड़ा था, दिनांक 16.06.2013 को रात्रि में अतिवृष्टि व भूस्खलन से धौली नदी में बह गया। उनके द्वारा दिनांक 18.06.2013 को वाहन बह जाने की एफ0आई0आर0 कोतवाली धारचूला, पिथौरागढ़ में दर्ज की गयी। एफ0आई0आर0 की छायाप्रति संलग्न करते हुये वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया। इसी सन्दर्भ में पत्र संख्या 2049/5—1, दिनांक 15.01.2014 द्वारा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली धारचूला की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.12.13 की छाया प्रति प्रेषित करते हुए, उक्त वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, धारचूला की जांच आख्यानुसार उक्त वाहन का अभी तक पता नहीं चला है और न ही भविष्य में उसके मिलने की उम्मीद है, जांच बन्द की जाती है।

कार्यालय रिकार्ड के अनुसार उक्त वाहन का कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः मैं, गोविन्द लाल आर्य, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, पिथौरागढ़, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या—यूके05जीए—0036, जिसका चैसिस संख्या A9G22375 व इंजन संख्या GZY 30542 है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

गोविन्द लाल आर्य,
पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 930/टी0आर0/पंजी0नि0/यूटीडी—6834/2013—वाहन संख्या यूटीडी—6834, मॉडल 1974, चेसिस संख्या 3129154706678, इंजन संख्या 342002475613, इस कार्यालय में श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार, निवासी ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18.12.2013 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 18.01.2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूटीडी—6834 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 3129154706678 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 931 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी26—8337 / 2013—वाहन संख्या यूपी 26—8337, मॉडल 1996, चेसिस संख्या 386045FTQ821751, इंजन संख्या 497D21FTQ762987, इस कार्यालय में श्री सुरेश नाथ पुत्र श्री नत्थू लाल, निवासी म0नं0 38, सुतईया बंगा, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 03.12.2013 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2013 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी 26—8337, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386045FTQ821751 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

28 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 932 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / डीईजी—4006 / 2013—वाहन संख्या डीईजी—4006, मॉडल 1983, चेसिस संख्या 344052157179, इंजन संख्या 692D02164745, इस कार्यालय में श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री सोम दत्त, निवासी गोयल किराना स्टोर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 19.12.2013 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2013 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या डीईजी—4006 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344052157179 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

28 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 933 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी25—9745 / 2013—वाहन संख्या यूपी25—9745, मॉडल 1989, चेसिस संख्या 90810168, इंजन संख्या 90802611, इस कार्यालय में श्री वकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद, निवासी अपर वैगुल, वार्ड नं0 6, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 19.12.2013 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2013 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी 25—9745 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 90810168 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

11 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 892/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी78एन—3932/2013—वाहन संख्या यूपी78एन—3932, मॉडल 1996, चेसिस संख्या 616RD404622, इंजन संख्या 616909133280, इस कार्यालय में श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री जय राम शर्मा, निवासी ग्राम मलसा, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 31.10.2013 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.11.2013 जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी78एन—3932 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 616RD404622 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

27 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 598/टी0आर0/पंजी0नि0/यूआरएन—0425/2014—वाहन संख्या यूआरएन—0425 (ट्रक), मॉडल 1981, चेसिस संख्या 34407309703, इंजन संख्या 692D01103195, इस कार्यालय में श्रीमती सुनिता देवी व श्री नरेश बब्बर, निवासी आदर्श कॉलोनी, सिविल लाईन, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26..3.2014 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है की रिपोर्ट, अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2014 जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूआरएन—0425 (ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 34407309703 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर

आदेश

25 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 875/लाईसेंस/निलम्बन/2013—श्री हरी मोहन कुशवाह पुत्र श्री रामबाबू कुशवाह, निवासी हाथीपुर शराब भट्टी के पीछे, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 22.01.2013 को वाहन संख्या UP31T—3328, को चलाने

पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 22.01.2013 को वाहन का चालान कर, चालक लाईसैन्स संख्या 22850/LKK06/240/231, जो मोटर साईकिल, ट्रान्सपोर्ट वैहिकल्स, के लिए लाईसैन्सिंग ऑथारिटी मोटर वाहन विभाग, लखीमपुर खीरी द्वारा जारी किया गया है। जिसकी वैधता 02.11.2014 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इस कार्यालय में संस्तुति सहित प्रेषित किया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 434/46/लाईसैन्स/धारा—21/2013, दिनांक 13.06.2013 के द्वारा लाईसैन्स धारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया। लाईसैन्स धारक ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो असन्तोषजनक है।

अतः वाहन मोटररयान अधिनियम, 1988 की धारा 22 का उल्लंघन करते पाये जाने पर, मैं, नन्द किशोर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए लाईसेंस सं0 22850/LKK06/240/231, जो दिनांक 02.11.2014 तक वैध है, को आज दिनांक 25.10.2013 से 01 माह के लिए निलम्बित करता हूँ।

नन्द किशोर,
लाईसैन्सिंग ऑथारिटी/
सहायक सम्भागीय परि0 अधि0,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर

आदेश

26 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 462/लाई0/निरस्त/09—10—उप निरीक्षक, कोतवाली, जनपद बागेश्वर, द्वारा दिनांक 08.08.2013 को वाहन संख्या यू0के0—02—टी0ए0 0582,टैक्सी को चैक किया गया तो वाहन चालक श्री जीवन लाल पुत्र श्री प्रेम राम, निवासी ग्राम मेहरबूगां, जिला बागेश्वर, शराब के नशे में पाया गया। चालक का मेडिकल परीक्षण कराये जाने पर, चालक द्वारा शराब के सेवन की पुष्टि हुई। इस सम्बन्ध में वाहन चालक के विरुद्ध थाना बागेश्वर में मु0अ0 सं0 1356/13 धारा 185/184/179(1) मोटर वाहन अधिनियम पंजीकृत किया गया है। संदर्भित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर ने अपने पत्रांक आर—21/13, दिनांक 10—08—2013 द्वारा वाहन चालक श्री जीवन लाल पुत्र श्री प्रेम राम, निवासी ग्राम मेहरबूगां जनपद बागेश्वर का चालक जनहित में निरस्त करने की संस्तुति की है। प्रकरण में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के लिये उपर्युक्त वाहन चालक को दिनांक 23.08.2013 द्वारा नोटिस जारी किया गया। लाईसैंसधारक उक्त सम्बन्ध में न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही अपना कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चालक अपना अपराध स्वीकार करता है।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुये तथा उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, मैं, डी0सी0 पाण्डेय, लाईसैंसिंग अधिकारी/प0क0अ0—1, उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपर्युक्त चालक के लाईसैन्स सं0 UK 0220100000216, एल0एम0वी0 (एन0टी0), जो दिनांक 25.08.203 तक वैध है तथा जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

यदि चालक उपर्युक्त आदेश से व्यथित है तो वह विनिर्दिष्ट प्राधिकारी/परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून के कार्यालय में आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपील कर सकते हैं।

डी0सी0 पाण्डेय,
लाईसैन्सिंग अधिकारी/
परिवहन कर अधिकारी—1,
उप संभागीय परिवहन कार्यालय,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/322—भाग 1—क—2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।